

मुख्य अभियंता -5 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक:- II/मु0अ0-3,त0स्वी0-07-249/23 **779**
प्रेषक,

पटना दिनांक:-19-4-24

मुख्य अभियंता-5,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- शीर्ष MMGSY(NDB-BRICS) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल के अधीन
पथ-सह-पुल के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-629 अनु0 दिनांक-09.04.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल के अधीन स्वीकृत
पथ-सह-पुल के प्राक्कलनों पर संलग्न प्रावैधिक टिप्पणी के आलोक में प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर
लौटाया जा रहा है। प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के साथ संलग्न प्रशिष्ट 'क' के स्तम्भ 07 में
अंकित है।

2. बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-460 अनु0 दिनांक-12.03.2024 के द्वारा प्रशासनिक
अनुमोदन प्राप्त है।
 3. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन
की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
 4. समर्पित किए गए तकनीकी स्वीकृति के लिए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी
जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन की निरूपण की जाँच एम0आई0टी0, मुजफ्फरपुर द्वारा
अनुमोदन की गई है। कार्य करते समय अगर कोई तकनीकी समस्या आती है तो संबंधित अभियंत्रण
महाविद्यालय से सम्पर्क कर आवश्यक सुधार कर लें तथा कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पाइल का लोड
टेस्ट अवश्य करा लें।
 5. अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय
को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 6. प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
 7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मोतिहारी ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं हैं, कर दर
अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के
दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए
मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका
अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।
 8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर हुए मिट्टी
की मात्रा की गणना की गयी है।
 9. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता प्राक्कलन में अन्तरविष्ट मात्रा एवं दर की सम्पुष्टि कर
संतुष्टि के पश्चात अग्रोत्तर कार्रवाई करेंगे।
- अनु0- स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

ज्ञापक- **779**

प्रतिलिपि: कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता-5, पटना

/पटना, दिनांक- **19-4-24**

मुख्य अभियंता-5, पटना

Executive Engineer
RWD WORKS DIVISION
Pakaridaval

21/04/24

प्रावैधिक टिप्पणी

परियोजना का नाम :-

परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 3 के अनुसार

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग:- परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 5 एवं 6 के अनुसार
विवरणी

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 7 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारत्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके। स्वीकृत प्राक्कलन की निरूपण की जाँच एन0आई0टी0 पटना द्वारा अनुमोदन की गई है।
4. कार्य करते समय अगर कोई तकनीकी समस्या आती है तो संबंधित अभियंत्रण महाविद्यालय से सम्पर्क कर आवश्यक सुधार कर लें। तदनुसार कार्य करावेंगे।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आकडा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार (Water ways) की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता होगी।
6. औपबंधि स्वीकृती की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:-
प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
अंतिम लेयर छोड़कर पथ बाँध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. (A) पुल निर्माण में निम्नांकित कार्य है :-
(I) फाउनडेशन
(II) सबस्ट्रक्चर
(III) सुपर-स्ट्रक्चर
(IV) एपरोच रोड
(V) प्रोटेक्शन वर्क
(VI) डाइभर्जन
(VII) विविध
(B) पथ निर्माण के लिए निम्नांकित विशिष्टियां अपनायी गयी है :-

1	मिट्टी सेक्शन के अनुसार	2	जी0एस0बी0- 100 मी0मी0 संपीडित
3	डब्लु बी0एम0 ग्रेड- III -75 mm	4	मिक्स सिल सर्फेसिंग 20 एम0एम0
5		6	
7		8	

9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आडीकाट एवं लम्ब काट के आधार किया गया एवं आडीकाट में जमीन उपलब्ध है, इसे मानते हुए गणना की गयी है।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बाँध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में एम0ओ0एस0टी0 भारत सरकार के विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात् ही कस्ट कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।

Executive Engineer
RWD WORKS DIVISION
Pakaridaval
21/09/24

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पकड़ीदयाल के अधीन शीर्ष MMGSY(NDB BRICS) योजना
अन्तर्गत प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची:-

sl no.	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM/M)	Administrative Approval		T.S amount
				Department Ref Lett. No. & Date	Total Cost (in Lakh)	Total Cost (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pakridayal	Part -A Saraiya To Meghua Road To Meghua Malikana	1.200 KM	460/12.03.2024	136.5300	822.39
		Part -B Construction of RCC HL Bridge Sapan 4x18.75M at CH-0+770 Km Over River in Saraiya To Meghua Road To Meghua Malikana Road with Approach Road = 100m	77.28 M		665.280	


Chief Engineer-5
R.W.D, Patna

Executive Engineer
RWD WORKS DIVISION
Pakaridaya


21/11/24

21/11/24